न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 556/चार/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 17-01-2001 पारित व्दारा - आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 94/1998-99 निगरानी

1- भगरी 2- दाताराम किरार
ग्राम विलगॉव चौधरी तहसील जौरा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

लज्जाराम पुत्र तेजसिंह किरार ठाकुर
ग्राम विलगॉव चौधरी तहसील जौरा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.एस.धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 16-11-2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 94/1998-99 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-01-2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है तहसीलदार जौरा जिला मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 18 अ 19/1988-89 में पारित आदेश दिनांक 30.8.1989 से आवेदकगण को ग्राम विलगॉव चौधरी स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 1676/1 रकबा 01 वीघा का व्यवस्थापन किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के समक्ष अपील क. 21/1990-91 प्रस्तुत करने पर अंतरिम आदेश दि. 31.10.91

पारित किया गया तथा निर्णय लिया कि अपील सुनवाई हेतु ग्रहण करने के पूर्व स्थल निरीक्षण किया जावेगा। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी क्रमांक 23/1991-92 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 14-9-1992 से अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश दिनांक 31-10-91 निरस्त किया गया तथा समयावधि के बिन्दु पर सुनवाई कर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये। अनुविभागीय अधिकारी जौरा ने प्रकरण क्रमांक 21/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.9.93 से अपील समयवाह्य प्रस्तुत होना पाकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 94/1998-99 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-01-2001 से निगरानी स्वीकार की गई एंव तहसीलदार जौरा का प्रकरण क्रमांक 18 अ 19/1988-89 में पारित आदेश दिनांक 30.8.1989 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार जौरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 18 अ 19/1988-89 में पारित आदेश दिनांक 30.8.1989 के अवलोकन पर पाया गया कि जब तहसीलदार ने ग्राम विलगॉव चौधरी स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 1676/1 रकबा 01 वीघा का व्यवस्थापन आवेदकगण के हित में किया, व्यवस्थापन के पूर्व भूमि शासकीय अभिलेख में खदान मद की दर्ज रही है। विचार योग्य है कि

मिटटी की खदान हेतु आरक्षित भूमि मद परिवर्तत किये बिना एंव काविलकास्त घोषित किये बिना बंटित/व्यवस्थापित की जा सकती है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 236 में व्यवस्था दी गई है कि धारा 235 में यथा उपबन्धित निस्तार पत्रक तैयार करने में कलेक्टर यथासंभव निम्नलिखित के लिये उपबन्ध करेगा –

(क) कृषि के लिये उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं को निःशुल्क चराने के लिये,

(ख) ग्राम के निवासियों व्दारा उनके वास्तविक घरेलू उपभोग के लिये –

(एक) बन उपज का ,

(दो) गौण खनिजों का मुफ्त ले जाया जाना.

विचाराधीन निगरानी में विचारित भूमि ग्रामीणों के मिटटी खदान के लिये कलेक्टर व्दारा संहिता की धारा 237 सहपठित 234 के अंतर्गत सुरक्षित रखवाई गई थी जिसे कलेक्टर से मद परिवर्तन कराये बिना तहसीलदार व्दारा व्यवस्थापन करने में त्रृटि की गई है, जिसके कारण विद्वान आयुक्त, चम्बल संभाग ने आदेश दिनांक 16-1-2001 से तहसीलदार के त्रृटिपूर्ण व्यवस्थापन आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 94/1998-99 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-01-2001 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है। फलतः निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर